

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228161  
SG-DL-E-07072021-228161

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 73
No. 184]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 73

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

संख्या 72/2020-राज्य कर

सं.फा. 03(99)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस- IV/537.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर(रयारहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।
- (2) अन्य था उपबंधित के सिवाय, ये 30 सितम्बर, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।
- दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“(द) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई. आर. एन.) सविहित करने वाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।”
- उक्तनियम के नियम 48 के खंड (4) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।”

4. उक्त नियम के नियम 138क में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) नियम 48 के उपनियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करने वाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड ऐसे कर बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।”

**टिप्पण:** मूलनियम, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग— IV में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व-1)/2020-21/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 62/2020-राज्यकर, तारीख 07/07/2021, 2021 जो सं0फा0 03(98)/वित्त (व्यय-IV)/2021-22/डीएस-IV/536, तारीख 07/07/2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

## FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2021

**No. 72/2020— State Tax**

**No. F.3 (99)/Fin.(Exp-IV)/2021-22/DS-IV/537.**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 30<sup>th</sup> day of September, 2020.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 46, after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:-

“(r) Quick Response code, having embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48.”

3. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said notification.”

4. In the said rules, in rule 138A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub-rule (4) of rule 48, the Quick Response (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax invoice.”

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22<sup>nd</sup> June, 2017, published vide number F3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22<sup>nd</sup> June, 2017 and last amended vide notification No. 62/2020 - State Tax, dated the 07/07/2021, published vide number No. F.3 (98)/Fin (Exp-IV)/2021-22/DS-IV/536, dated the 07/07/2021.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)